प्र.सं. ..................../ दावा / प्र.पत्र / ....................

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| 04/9/25 | पत्रावली पेश हुई। आज अतिवृष्टि होने के कारण अभिभाषक परिषद द्वारा कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली वास्ते साबिक कार्यवाही दिनांक 11/9/25 को पेश हो। [initials] |
| 11/9/25 | वकुलाए उप.। बहस हेतु अवसर चाहने पर अन्तिम अवसर दिया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/9/25 को पेश हो। [initials] |
| 25/9/25 | वकुलाए उप.। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 29/9/25 को पेश हो। |
| 29/9/25 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज [illegible] [illegible] कार्यदेश [illegible] रखते हैं। [illegible] कार्य से [illegible] है। अभिभाषकगण [illegible] पर है। अत: [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 1.10.25 को पेश हो। [initials] |
| 1/10/25 | वकील प्रार्थी उप.। पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा०पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर पक्षकारान् तार्फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.मि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तालील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [initials] [initials] |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

ल नं0 | तारीख दायरा | तारीख फैसला

5/प्रा0पत्र/2024 | 28.08.2024 | 01.10.2025

ीराम आत्मज तुलस्या नाथ जाति बाबाजी निवासी ग्राम डाबी उपतहसील डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी जस्थान

–प्रार्थी

बनाम

1. शुभम पुत्र महेन्द्र कुमार जैन जाति महाजन।
2. सौरभ जैन पुत्र महेन्द्र कुमार जैन जाति महाजन निवासीगण मकान नं0 321, तलवण्डी कोटा।
3. आशीष पुत्र प्रकाश चन्द जाति बाबाजी।
4. जम्बू कुमार पुत्र प्रकाश चन्द जाति बाबाजी।
5. राकेश पुत्र प्रकाश चन्द जाति बाबाजी नाबालिग जरिये वलिया माता इन्द्रा बाई।
6. प्रदीप पुत्र प्रकाश चन्द जाति बाबाजी नाबालिग जरिये वलिया माता इन्द्रा बाई।
7. इन्द्रा बाई पत्नी स्व0 प्रकाश चन्द जाति बाबाजी।
8. रेखराज पुत्र शंकरनाथ जाति बाबाजी।
9. बिरधी बाई पत्नी स्व0 शंकरनाथ जाति बाबाजी निवासीगण ग्राम डाबी उपतहसील डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान।
10. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।

– प्रतिपक्षीगण

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थी :– मिनाक्षी कुमारी

अधिवक्ता अप्रार्थी :– श्री अखिलेश जैन

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डाबी उपतहसील डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी में खाता नं0 नया 246, पुराना 198 पर खसरा नम्बर 1116 की 1.9344 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 सलंग्न है। उपरोक्त भूमि प्रार्थी एंव प्रतिपक्षी नं0 1 ता 9 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी का 69/478 हिस्सा व प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 का 85/478 , 85/478 हिस्सा, प्रतिपक्षी नं0 3 ता 7 प्रत्येक का 1/30, 1/30 हिस्सा, प्रतिपक्षी नं0 8–9 प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि के सेटलमेन्ट के पूर्व खसरा नम्बर 1116 की 11 बीघा 19 बिस्वा का रकबा था जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित था। प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 ने प्रार्थी से 85/238 हिस्से की लगभग चार बीघा भूमि दिनांक 29–7–2015 को बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की थी जिसके आधार पर प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 का नाम खरीद की गयी भूमि शामलाती दर्ज हो गयी। उपरोक्त भूमि शामलाती रूप से प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं. 1 लगा. 9 के खाते में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी अपने 69/547 हिस्से के अनुसार 0.2792 हेक्टर भूमि पर मोके पर सभी सहखातेदारान प्रत्येक इंच भूमि पर शामलाती रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है । किन्तु प्रतिपक्षी नं 1 व 2 आये दिन प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते रहते है

प्रतिपक्षीगण प्रार्थी से कडता लगान जमा करने में विवाद पैदा करते है तथा सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करना हते है जिसका कि प्रतिपक्षीगण का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिपक्षी नं. 1 व 2 प्रार्थी के 69/478 हिस्से की मि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने पर आमादा रहते है इस हेतु प्रार्थी ने प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 को उक्त भूमि बेची गयी भूमि का विभाजन कराने हेतु दिनांक 31-7-2024 को कहा किन्तु प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 ने बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया तथा प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने व प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करने की धमकी दी। यदि उक्त भूमि में से प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करने दिया व कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा किया तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व प्रार्थी का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा । प्रार्थी का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 ग्राम ढाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी की खसरा नम्बर 1116 की 1.9344 हेक्टर भूमि में से प्रार्थी के 69/478 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा नहीं कर, काश्त करने से नहीं रोके। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्य नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं0 1, 2 ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया एवं अप्रार्थी सं0 3 लगायत 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी सं0 3 लगायत 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थीगण 1 व 2 का 25/478, 88/478 हिस्सा होना स्वीकार है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की उक्त भूमि दिनांक 29.07.2015 को क्रय की थी तब अप्रार्थीगण अपने हिस्से व खाते की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण अपनी भूमि पर सयुंक्त रूप से काबिज है। प्रार्थी कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहे है। प्रतिवादीगण 1 व 2 वाद पत्र में वर्णित भूमि का विधिक बंटवारा कराने को तैयार है। लेकिन वादी उक्त भूमि का विधिक बँटवारा नही कराना चाहता है। सम्पूर्ण भूमि को ही अपनी बताकर रहन, बेचान करना चाहता है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूमि ख0सं0 1116 रकबा 1.9344 हैक्टेयर में अप्रार्थी सं. 1 का 85/478, अप्रार्थी सं0 2 का 85/478 हिस्सा निहित है। अप्रार्थीगण का निहित हिस्से के अनुसार विधिक रूप से मौके पर बंटवारा किया जावे। मौके पर सीमाज्ञान कर अप्रार्थीगण को राजस्व रेकार्ड में निहित हित से अनुसार बंटवारा किया जावे। यदि राजस्व रेकार्ड के हिस्से अनुसार मौके पर जमीन का बंटवारा सही नहीं हुआ था तो पक्षकार के मध्य जमीन के कब्जे वाद-विवाद उत्पन्न होते रहेगें। सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु, प्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित नही है। अतः प्रार्थना पत्र की प्रार्थना अस्वीकार है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हो रहे है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रार्थी से जमीन क्रय की है किन्तु प्रार्थी के मन में बदनियती आ रही है वह अप्रार्थीगण की भूमि को हडपने की मंशा से यह वाद पेश किया है अप्रार्थी सं0 1 व 2 कोई विवाद नही चाहते बटवारा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वर्णित आराजी के रेकार्डड खातेदार प्रार्थी व अप्रार्थीगण है एवं पक्षकारान् के मध्य मूलतः वाद वर्णित आराजी के बटवारे को लेकर विवाद है, उपस्थित अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने प्रस्तुत जवाब में स्पष्ट किया है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 बटवारा कराने को सहमत है। किन्तु बटवारा होने तक पक्षकारान् के मध्य किसी प्रकार का

वाद उत्पन्न नहीं हो एवं पक्षकारान् अपने अपने हिस्से पर वाद विचरण तक शांतिपूर्वक कृषि कार्य करते रहे। तः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित विवादित आराजी ख0सं0 1116 रकबा 0.9344 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबी तहसील तालेडा पर समस्त पक्षकारान् को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी का रहन बेचान नहीं करे। कब्जा कास्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे ना ही अपने प्रतिनिधियो से करावे। रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा